

पत्रांक : BMSIC/40010/69-2019/4770

दिनांक : 14.11.2019

कार्यालय आदेश


सभी आपूर्तिकर्ता फर्म/कम्पनी, जिनका औषधि/उपकरण हेतु दर अनुबंध विहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि० के साथ है, को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि संबंधित निविदा के क्रम में उनके द्वारा वांछित कई कागजात/प्रमाण पत्र के स्वअभिप्रमाणित प्रति समर्पित किए गये हैं, जिनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता के लिए वे पूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं।

निविदा दस्तावेज के Clause 14(d) में अंकित है कि "If at any stage, it is found that the tender has been successfully obtained by the bidder by submitting forged/fabricated certificates/documents/licenses and/or by concealing the fact about blacklisting/debarring/de-registration of the firm by Govt. of India/Suspension/Cancellation/non-renewal of the manufacturing license of the bidder firm, the tender bid/rate contract may be rejected/terminated and suitable punitive action may be taken against the firm."

यह संभव है कि कालान्तर में विभिन्न दर अनुबंधित उपकरण/औषधि से संबंधित कंपनी/फर्म द्वारा समर्पित कागजात/प्रमाण पत्र कालबाधित अथवा किसी अन्य कारण से निरस्त हो गए हैं। ऐसे मामलों में संबंधित कंपनी/फर्म से यह अपेक्षित एवं अनिवार्य है कि इस संबंध में अथवा ब्लैकलिस्टिंग होने के मामले में तुरंत इसकी सूचना निगम (BMSICL) को देंगे।

उक्त के आलोक में सभी आपूर्तिकर्ता/फर्म/कंपनी से अनुरोध है कि उनके द्वारा जमा कराये गये कागजात/प्रमाण पत्रों की स्थिति की समीक्षा उनके स्तर से कर ली जाए एवं यथास्थिति से निगम को ससमय अवगत कराया जाय।


उल्लेखनीय है कि निगम के स्तर से जाँच किए जाने के पश्चात निविदा से संबंधित कागजात गलत अथवा कालबाधित आदि पाये जाने पर निविदा दस्तावेज की कंडिका 14(d) के प्रावधानों एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत संबंधित फर्म/आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।


(प्रबंध निदेशक)

ज्ञापांक : BMSIC/40010/69-2019/4770

दिनांक : 14.11.2019

प्रतिलिपि : सभी दर अनुबंधित उपकरण/औषधि से संबंधित आपूर्तिकर्ता/फर्म/कंपनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


(प्रबंध निदेशक)

